



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-11062025-263716
CG-RJ-E-11062025-263716

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2450]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2025/ज्येष्ठ 19, 1947

No. 2450]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2025/JYAISTHA 19, 1947

रेल मंत्रालय

[(उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 23 मई 2025

का.आ. 2509(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम 2008 (2008 का 11) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा (20क की उप धारा-1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण उनके नीचे अनुसूची में दिया गया है। हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में विशेष रेल परियोजना “मानहेरू बवानी खेड़ा रेल दोहरीकरण” के विकास हेतु निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित की तिथि के 30 (तीस) दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त परियोजना के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा :

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी – भिवानी हरियाणा में किया जायेगा और उसमें उसके आधार पर उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी आपेक्षकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसे और जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा, आदेश द्वारा ,

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपर (धारा-) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा :

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरिक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में मानहेरु -बवानी खेडा रेल दोहरीकरण की विशेष रेल परियोजना हेतु (जिला राजस्व अधिकारी के लिए) भूमि अधिग्रहण की जाने वाली सरंचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

जिला – भिवानी

क्रम संख्या	उपखंड/तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वे/खसरा सं.	क्षेत्रफल क्नाल/मरला	क्षेत्रफल(हेक्टेयर)
01	भिवानी	भिवानी लोहर	90//3/1 मिन	0-1	0.0025
02	भिवानी	भिवानी लोहर	90//3/2 मिन	1-1	0.0531
03	भिवानी	भिवानी लोहर	90//7/1 मिन	1-1	0.0531
04	भिवानी	भिवानी लोहर	90//7/2 मिन	0-5	0.0127
05	भिवानी	भिवानी लोहर	90//14/2 मिन	1-1	0.0531
06	भिवानी	भिवानी लोहर	90//17/1 मिन	1-18	0.0961
कुल रकबा				5-7	0.2706

[फा. सं. 1-भाग-443599200/.नि.व.सं/मुख्यालय/उपरे.16]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 23rd May, 2025

S.O. 2509(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 20A of the Railway Act 2008, (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution. Maintenance, management and operation of Special Railway Project of “**Manheru-Bawani khera doubling project**” in District Bhiwani in the state of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to competent authority, namely, the District revenue officer, Bhiwani, in the state of Haryana, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objection and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the special railway project, namely Manheru-Bawani Khera doubling project District Revenue Officer in the state of HARYANA.

District-Bhiwani

Sr.No.	Name of the sub-division/Tehsil	Name of village	Survey/Khasra No.	Area in Kanal/marla	Area in Heactare
01	Bhiwani	Bhiwani Lohar	90//3/1 Min	0-1	0.0025
02	Bhiwani	Bhiwani Lohar	90//3/2 Min	1-1	0.0531
03	Bhiwani	Bhiwani Lohar	90//7/1 Min	1-1	0.0531
04	Bhiwani	Bhiwani Lohar	90//7/2 Min	0-5	0.0127
05	Bhiwani	Bhiwani Lohar	90//14/2 Min	1-1	0.0531
06	Bhiwani	Bhiwani Lohar	90//17/1 Min	1-18	0.0961
Total Area				5-7	0.2706

[F. No. NWR/HQ/S&C/ 443599200 Vol- XVI]

VED PRAKASH, Chief Admn. Officer (Cons.)